17/12/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। नंबर से कम हो।
	निर्णय सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/264

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:43 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 157/2023 GCMS :- 2023/264 दायरा दिनांक 03.08.2023

महावीर पुत्र राजाराम जाति बिशनोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। – प्रार्थी

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़।
2. हरीशचन्द्र पुत्र राजाराम जाति बिशनोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू.धारक – अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्करी अधिनियम

उपस्थिती : सुरेन्द्र कुमार सुथार एडवोकेट – प्रार्थी,
रामप्रताप तिवाड़ी एडवोकेट – अप्रार्थी नं. 01
कालूराम खिचड़ व लेखराज देरासरी – अप्रार्थी नं. 02

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–: निर्णय :– दिनांक : 17.12.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 10/2 में 0.203 है0 कमाण्ड, 11 में 0.253 है0 कमाण्ड, 12/1 में 0.151 है0 कमाण्ड कुल 0.607 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व अप्रार्थी नं. 01 के नाम चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 5/2 में 0.228 है0 कमाण्ड, 6 में 0.253 है0 कमाण्ड, 7/4 में 0.025 है0 कमाण्ड, 15 ता 18 में 1.012 है0 कमाण्ड व किला नं. 19/2 में 0.127 है0 कमाण्ड कुल 1.645 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि व अप्रार्थी न. 02 के नाम चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 12/2 में 0.102 है0 कमाण्ड, 13–14 में 0.506 है0 कमाण्ड, कुल 0.608 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी नं. 01 के नाम के अंकित भूमि के चिपते चक 3 बी.पी.एम. के पत्थर नं 22/41 के किला नं. 1,10, 11, 20 व 21 में मंजूरशुदा रास्ता चालु है। जिससे जोड़ते हुए प्रार्थी अप्रार्थी नं. 01 के नाम अंकित भूमि चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 15 के उतरी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 1 1/2 –1 1/2 बिस्वा यानि 0.019 है0 व अप्रार्थी नं. 02 की अंकित भूमि चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 12/2 ता 14 के उतरी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रत्येक किला जात में 1 1/2 –1 1/2 बिस्वा यानि 0.043 है0 रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि को जोड़ते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता मंजूर करवाकर दर्ज करवाने का प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर श्रीमान जी की अदालत द्वारा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से जांच रिपोर्ट मांगी गयी जिसमें श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 26.07.2023 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ ने प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता है व अन्य कोई वैल्पिक रास्ता नही है कि टिप्पणी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 23.08.2024 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया। दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त नोटिस तामिल हुए। नोटिस तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थनापत्र में दर्ज तथ्यो की काट करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर पत्रावली में जवाब आने के बाद पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 10/2 में 0.203 है0 कमाण्ड, 11 में 0.253 है0 कमाण्ड, 12/1 में 0.151 है0 कमाण्ड कुल 0.607 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी नं. 01 के नाम अंकित भूमि चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 15 के उतरी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 1 1/2 –1 1/2 बिस्वा यानि 0.019 है0 व अप्रार्थी नं. 02 की अंकित भूमि चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 12/2 ता 14 के उतरी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रत्येक किला जात में 1 1/2 –1 1/2 बिस्वा यानि 0.043 है0 रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि को जोड़ते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता मंजूर किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 10/2 में 0.203 है0 कमाण्ड, 11 में 0.253 है0 कमाण्ड, 12/1 में 0.151 है0 कमाण्ड कुल 0.607 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी नं. 01 के नाम अंकित भूमि चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 15 के उतरी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 1 1/2 –1 1/2 बिस्वा यानि 0.019 है0 व अप्रार्थी नं. 02 की अंकित भूमि चक 4 बी.पी.एम. के पत्थर नं. 22/33 के किला नं. 12/2 ता 14 के उतरी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रत्येक किला जात में 1 1/2 –1 1/2 बिस्वा यानि 0.043 है0 रास्ता प्रार्थी की खाते[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत किया जाता है व रास्ते में आयी भूमि की एवज में प्रार्थी अप्रार्थीगण [illegible] राशि जमा होने के पश्चात तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रकबा [illegible] दर्ज करने के आदेश दिये जातें है।

आदेश आज दिनांक 17.12.2024 को खुले न्यायालय में सु[illegible] गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:43 IST
Reason: SelfAttested